

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2814
उत्तर देने की तारीख : 05.12.2019

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं

2814. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;
- (ख) विभिन्न योजनाओं के लिए बजट आवंटन कितना है तथा आंध्र प्रदेश द्वारा उपयोग किया गया बजट कितना है; और
- (ग) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यकों के लिए सामुदायिक भवन आदि अवसंरचना निर्मित करने के लिए कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः(6) अल्पसंख्यक समुदायों यथा बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और पारसी के कल्याण और विकास के लिए देशभर में निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं/कार्यक्रम संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

- (1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना: कक्षा X तक के लिए।
- (2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना: कक्षा XI से पीएच.डी. तक के लिए।
- (3) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना: तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए योजना।
- (4) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: यूजीसी मानकों के अनुसार उच्च शिक्षा जैसे एम.फिल एवं पीएच.डी. करने के लिए अध्येतावृत्ति।
- (5) नया सवेरा: निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना:- इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों को तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और समूह 'क', 'ख' और 'ग' स्तर की भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

- (6) "पढ़ो परदेश": विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।
- (7) नई उड़ान: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)/एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सहायता—इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को उनकी मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सहायता।
- (8) जियो पारसी: इस योजना का उद्देश्य भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को रोकना है। यह भारत में पारसियों की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की एक अनूठी योजना है।
- (9) नई रोशनी: यह महिलाओं के नेतृत्व विकास की अनन्य योजना है जो सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और माध्यमों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीकें उपलब्ध करवाते हुए महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है।
- (10) सीखो और कमाओ: प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम।
- (11) नई मंजिल: स्कूल ड्रॉपआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजना।
- (12) उस्ताद: पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण की उन्नयन योजना, ऐसी कलाओं और शिल्पों की मार्केटिंग के लिए हुनर हाट आयोजित करना।
- (13) हमारी धरोहर: भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।
- (14) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमआईएफ) शिक्षा और रोजगार उन्मुखी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है।
- (15) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व-रोजगार और आय-सृजक उद्यमों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करता है।
- (16): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो देश के अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों(एमसीए) में कार्यान्वित की गई है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के बराबर लाने के लिए उनमें सामाजिक-आर्थिक परिसंपत्तियां विकसित करना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
- (ख) वर्ष 2019-20 के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किए गए धन का योजना-वार विवरण संलग्न है। कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) मंत्रालय प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), जिसे पूर्व में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में जाना जाता था, और जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, देश के अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों(एमसीए) में कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के बराबर लाने के लिए उनमें सामाजिक-आर्थिक परिसंपत्तियां विकसित करना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पीएमजेवीके के अधीन कवर किए गए क्षेत्र में 109 अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालय (एमसीडी मुख्यालय), 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी) और 321 अल्पसंख्यक बहुल नगर (एमसीटी) तथा अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूह (सीओएमसीवी) हैं जिनकी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पहचान की जाती है। कुल मिलाकर 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 308 जिलों में फैले 1300 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान की गई है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा प्रस्तावित आवासीय स्कूल, नए स्कूल, कॉलेज भवन, छात्रावास, अतिरिक्त क्लास रूम, स्कूलों में प्रयोगशाला-कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, शौचालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कामकाजी महिला हॉस्टल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल परियोजनाएं, सामान्य सेवा केंद्र, सद्भाव मंडप, मार्केट शेड इत्यादि जैसी परियोजनाओं की सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है। यह ब्यौरा <http://www.minorityaffairs.gov.in/empowered-committee-minutes> पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक

दिनांक 05.12.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2814 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्र. सं.	योजना	बजट अनुमान 2019-20
1	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1220.3
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	496.01
3	मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	366.43
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	155.00
5	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता	30.00
6	निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	75.00
7	यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता।	20.00
	उप-योग	2362.74
8	कौशल विकास पहलें	250.00
9	उस्ताद (हुनर हाट)	30.00
10	नई मंजिल (8वीं से 10वीं तक के लिए कौशल)	140.00
11	एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान	165.02
	उप-योग	585.02
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास	15.00
13	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना	4.00
14	हमारी धरोहर	8.00
15	मौलाना आजाद स्वास्थ्य सहायता	-
16	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन और प्रचार	60.00
	उप-योग	87.00
16	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	1320.00
17	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	90.00
18	एनएमडीएफसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता-अनुदान	2.00
19	कौमी वक्फ बोर्ड तरविकयाती योजना	17.50
20	शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	3.16
21	सचिवालय	22.00
22	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	9.30
23	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	2.30
25	हज सीजीआई जेद्दा	85.00
26	हज सचिवालय	9.00
	उप-योग	240.26
	सकल योग	4700.00
